





भारतपुर  
उपखण्ड अधिकारी  
(दामोदर सिंह, R.A.S.)  
H

अतः आज्ञा है कि -  
अपील अपीलार्थ स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत बछामदी के द्वारा नामांतरण संख्या 8 ग्राम बछामदी के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 16.05.1973 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि उपपक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को पालना देव भेजी जावे।  
निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ग्राम पंचायत बछामदी निरस्त शीर्षक की पुनः निर्णय देव प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को प्रति प्रेषित किये जाने के शीर्षक है।